	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 22, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 13, 2023 *Bhadra 22, Wednesday , Saka 1945- September 13, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 05, 2023

जी.एस.आर.134 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनुसूची-I के क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''1. सहायक निदेशक 2. विपणन अधिकारी'', के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II के क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिला उद्योग अधिकारी'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

सं. एफ. 1(14)कार्मिक/क-2/82 पार्ट

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 05, 2023

G.S.R.134 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In column number 3 against serial number 7 of Schedule-I appended to the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "1. Assistant Director. 2. Marketing Officer.", the expression "Assistant Commissioner Industries & Commerce" shall be substituted.

3. Amendment of Schedule-II.- In column number 3 against serial number 6 of Schedule-II appended to the said rules, for the existing expression "District Industries Officer", the expression "District Industries & Commerce Officer" shall be substituted.

[No.F. 1(14)DOP/A-2/82 pt.]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.